

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चमडखान-कनोली-सैलापानी
मोटर मार्ग का निर्माण

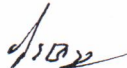
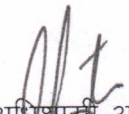
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 06.08.2012 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री रूप सिंह मेहरा वन रक्षक राजस्व विभाग की ओर से श्री उमश चन्द्र नयाल पटवारी प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह रावत अपर सहायक अभियन्ता एवं श्री मोहन सिंह मेट द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि शून्य हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.150 हे०, वन पंचायत भूमि 0.248 हे० एवं नाप भूमि 6.811 हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

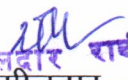
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है

आवेदित वन भूमि रुक है, से कम है।

			
अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिकांश अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत	रानीखेत	रानीखेत	रानीखेत



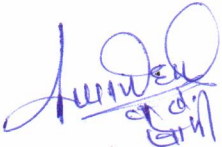
पटवारी


तहसीलदार
विभा बल्मोड़ा (चमडखान)


उपजिलाधिकारी
रानीखेत


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रति हस्ताक्षरित



वन दरोगा


वन क्षेत्राधिकारी
वन प्रभाग अल्मोड़ा


उपप्रभागीय वन अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रति हस्ताक्षरित


प्रभागीय वन अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा